Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to provide pension to those who took part in J.P. Movement.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि देश में आजादी के बाद संपूर्ण क्रांति के नाम से पहचाने जाने वाला आन्दोलन 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के बीच चला था, जिसे हम लोग जेपी आंदोलन भी कहते हैं ।

यह आंदोलन देश के सभी हिस्सों में था परन्तु बिहार में यह विशेष रूप से चला, जिसमें बिहार के छात्रों एवं नौजवानों ने भाग लिया था । उस वक्त केंद्र की तत्कालीन सरकार ने आंदोलनकारियों को मीसा, डीआइआर जैसे जन विरोधी कानून के तहत जेल में डालने का काम किया था । इनमें से कई लोग लंबे समय के लिए, कई लोग एक माह के लिए भी जेल गए । इस आंदोलन के दौरान बिहार के कई जनसामान्य छात्रों एवं महिलाओं को बनाए गए मीसा, डीआइआर कानूनों के तहत आंदोलन में भाग लेने के कारण कई तरह की यातनाएं दी गईं, परन्तु मीसा के अंतर्गत छ: महीने से ज्यादा जेल वालों को ही पेंशन दी जा रही है । बिहार में इनकी संख्या 3300 है । जो लोग एक महीने से ज्यादा समय की सजा काट चुके हैं और आंदोलन के दौरान भूमिगत रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है । बिहार के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी जे.पी. आंदोलन में भाग लेने वाले को पेंशन की सुविधा दी गयी है ।

सभापति महोदय, सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जे.पी. आंदोलन में भाग लेने वाले एवं जेल जाने वाले जन सामान्य छात्रों एवं महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार द्वारा पेंशन दी जाए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।